मोहनलाल गौतम विरूद्ध बृजकिशोर गौतम

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1144–तीन/09 जिला – सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 256/निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 15–6–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर, सतना द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अवधि बाह्य होने के आधार पर निरस्त किए जाने के आदेश को स्थिर रखा गया है ।	
	2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने यह माना है कि संशोधन किए जाने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है क्योंकि भू–अर्जन से सबंधित कार्यवाही का सुनने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं थी और जो विलंब बताया गया है उसमें लिए पर्याप्त कारण नहीं है, इसलिए उन्होंने आवेदन को अस्वीकार करते हुए अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया गया है । उनका यह निष्कर्ष कि विलंब के संबंध में दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए उचित एवं न्यायिक है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह उचित एवं न्यायिक है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है ।	
	3– उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस हों ।	
	सदस्य	

...ल गौतम विरुद्ध बृजकिशोर गौतम

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला–ग्वालियर (म0प्र0)

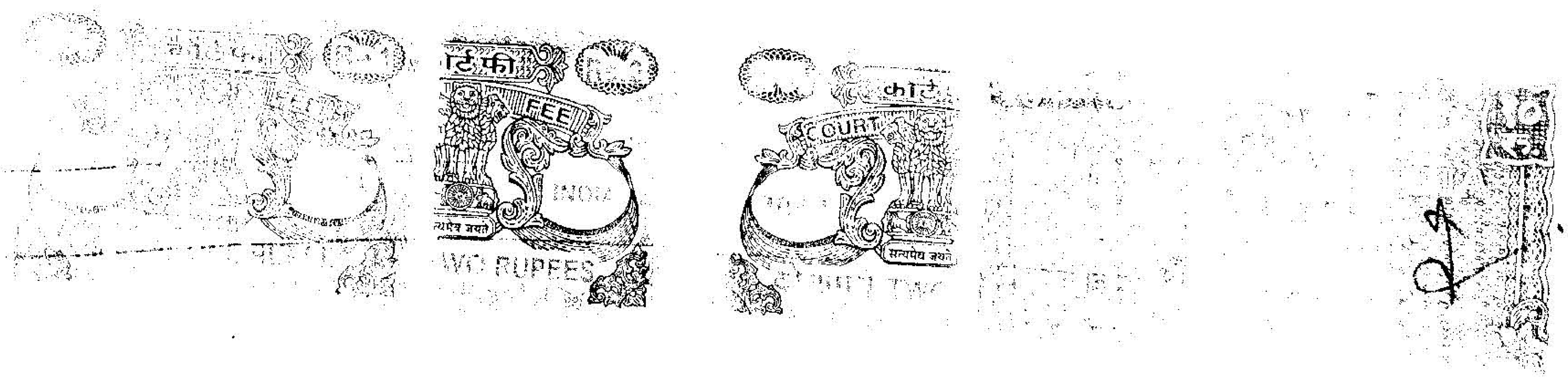

मोहनलाल गौतम तनय स्व0 श्री रामनिहोर गौतम निवासी ग्राम बेरमा तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0)

क्रमांक 2529
रजिस्टर्ड पोस्ट ...
दिनांक ...

..............निगरानीकर्ता

<u>बनाम्</u>

बृजकिशोर गौतम तनय स्व0 श्री रामनिहोर गौतम निवासी ग्राम बेरमा तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0)

...प्रतिनिगरानीकर्ता